न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 41 / 2016

1 श्रीमती केसरी देवी (मृतक)।
2 सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा जाति रिणवा ब्राह्मण निवासी पी.डी. एम. स्कूल के पास कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 रणवीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खीचड़ो की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 राकेश कुमार खाखल पुत्र करणसिंह जाति जाट निवासी ग्राम पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 झिमकूबाई पुत्री शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी ढ़ाणी स्वंय तन खेत खसरा नम्बर 841 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 हल्का पटवारी कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

विविध अपील विरूद्व आदेश दिनांकित 20.04.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ प्रकरण
रणवीर सिंह आदि बनाम झिमकूबाई आदि अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा
नम्बर 29 / 2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 121 / 2016

1 श्रीमती केसरी देवी (मृतक)।
2 सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा जाति रिणवा ब्राहम्ण निवासी बी.डी. एम. स्कूल के पास कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रणवीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खीचड़ो की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 राकेश कुमार खाखल पुत्र करणसिंह जाति जाट निवासी ग्राम पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 झिमकूबाई पुत्री शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी ढ़ाणी स्वंय तन खेत खसरा नम्बर 841 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 हल्का पटवारी कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांकित 11.07.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ प्रकरण
रणवीर सिंह आदि बनाम झिमकूबाई आदि
मुकदमा नम्बर 54 / 2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मो. वसीम जोड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद मोदी, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 22-1-20

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 29/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2016 एवं 54/2016 दिनांक 11.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विचारण न्यायालय में वाद एवं टी.आई. के निर्णय के विरूद्व यह दो अलग—अलग अपील प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में प्रथक—प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाद संख्या 54/2016 के तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 841 तन लक्ष्मणगढ़ में अपने आपको खातेदार बताते हुए उक्त भूमि का बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत कर बंटवारा की सहायता चाही गई। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थीनी केसरीदेवी की पैतृक भूमि है, जिसकी खातेदारी पहले अपीलार्थीनी के पिता के नाम अंकित थी। उक्त भूमि से सम्बंधित विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1188 गलत रूप से नानीबाई व रेस्पोडेंट/प्रतिवादीनी संख्या 3 झिमकूबाई के नाम अपीलार्थीनी व उसकी बहन बनारसी देवी को छिपाकर स्वीकृत कर दिया गया। उक्त विरासत के नामान्तकरण के आधार पर गलत रूप से विवादित आराजी की खातेदारी नानीबाई एवं उक्त प्रतिवादीनी संख्या 1 झिमकूबाई के नाम राजस्व रिकार्ड में अकित हो गई,

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिसकी जानकारी होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर में वाद संख्या 40/1989 अपीलार्थीनी की बहन बनारसी देवी द्वारा पेश किया गया, जो वाद दिनांक 05.02.1999 को डिक्री होकर उक्त नामान्तकरण संख्या 1188 तथा इसके आधार पर बनी खातेदारी को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय में अपीलार्थीनी को 1/3 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया गया। नानीबाई व झिमकूबाई दोनों बहनों का 1/9 – 1/9 हक हिस्सा निर्धारित किया गया। नानीबाई द्वारा उक्त निरस्त हो चुके नामान्तकरण व निरस्त हो चुके खाते के आधार पर 1/2 भाग का साजिशी बेचान कथित वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया गया। उक्त बेचान के आधार पर वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही हुए, न ही कब्जा प्राप्त हुआ। नानीबाई का ही जब कब्जा व अधिकार नही था, तब वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया बैचान स्वतः ही आरंभतः अवैध, शून्य व प्रभावहीन है। अपीलार्थी को उक्त साजिशी बैचान की जानकारी होने पर उसके द्वारा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अन्यो के विरूद्व फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया। पुलिसथाना लक्ष्मणगढ़ में वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 आदि के विरूद्व प्रथम सूचना संख्या 76/16 दर्ज है। इसके अलावा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में पंजीयन करवाये गये विक्रय पत्र को निरस्त करवाने आदि की सहायता के लिये समक्ष व्यवहार न्यायालय सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ में भी वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व वाद पेश कर दिया गया, जो वाद शीर्षकीय केसरी देवी बनाम नानीबाई आदि, मुकदमा नम्बर 31/16 उक्त सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/वादीगण को उक्त वाद व तथ्यों की जानकारी होते हुए भी उक्त तथ्यों को छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय मे हस्तगत निराधार दावा पेश कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थीनी को जानबुझकर पक्षकार नही बनाया गया। उक्त हस्तगत वाद की जानकारी होने पर अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 12.04.2016 को ही अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश किया गया। आवेदन के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समर्थन में शपथ पत्र व सुसंगत दस्तावेज पेश किये गये, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना मनमानीपुर्ण रूप से वादीगण के कोई अधिकार विवादित भूमि में नही होते हुये भी चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने का आदेश गलत रूप से प्रसारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

इसी वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/वादीगण को उक्त वाद व तथ्यों की जानकारी होते हुए भी उक्त तथ्यों का छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय में निराधार दावा मुकदमा नम्बर 54/2016 शीर्षकीय रणवीर सिंह बनाम झिमकूबाई आदि, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थीनी को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया। उक्त वाद संख्या 54/2016 की जानकारी होने पर अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 12.04.2016 को ही अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश किया गया। आवेदन के समर्थन मे शपथ पत्र व सुसंगत दस्तावेज पेश किये गये। इस पर आगामी दिनांक 24.06.2016 नियत कर दी गई, लेकिन टी.आई. प्रकरण मे अपीलार्थीनी की पीठ पिछे गलत रूप से दिनांक 20.04.2016 नियत कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध व अनुचित रूप से अपीलार्थीनी की अनुपस्थिति में दिनांक 20.04.2016 को टी.आई. प्रकरण का निर्णय कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 96 सीपीसी दिनांक 21.02.2017 को स्वीकार कर प्रभावित पक्षकार माना है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। इस पर प्रस्तुत आवेदन भी खारिज किया है इसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत रिविजन भी खारिज की गई परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में प्रभावित पक्षकार मान लिया है। दावा बनारसी बनाम नानी दिनांक 05.02.1999 को डिक्री हुआ है। इसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा माना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गया है किन्तु इस डिक्री की पालना नही हुई है। विचारण न्ययालय में विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। टी.आई. आवेदन में भी अपीलांट पक्षकार नही थी अत टी.आई. का आदेश अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने दोनों अपीले स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दिनांक 05.02.1999 की डिक्री की पालना क्यों नही हुई यह अपीलांट ने नही बताया है। हम रिकार्डेड खातेदार है अपीलांट रिकार्डेड सहखातेदार नही है। अत उन्हे पक्षकार नही बनाया गया। विचारण न्यायालय में विभाजन का दावा था विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाकर प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 96 सीपीसी दिनांक 21.02.2017 को स्वीकार कर प्रभावित पक्षकार माना है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। इस पर प्रस्तुत आवेदन भी खारिज किया है इसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत रिविजन भी खारिज की गई परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में प्रभावित पक्षकार मान लिया है। दावा बनारसी बनाम नानी दिनांक 05.02.1999 को डिक्री हुआ है। इसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा माना गया है किन्तु इस डिक्री की पालना नही हुई है। विचारण न्ययालय में विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 में पारित निर्णय का प्रश्न है इस प्रकरण से सम्बंधित मूलवाद की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सोकर

किया जा रहा है। उभयपक्ष में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये अपील संख्या 41/2016 स्वीकार कर उभयपक्ष को विचारण न्यायालय में मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द करना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 121/2016 स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब का समुचित अवसर प्रदान करे, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपील संख्या 41/2016 स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाकर उभयपक्ष में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्ष को विचारण न्यायालय में मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-1-20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर